

## समावेशी शिक्षा में समावेशात्मक संस्कृति का निर्माण

प्रो. सुदेश कुमार शर्मा

सार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 सभी बालकों के लिए उनकी जाति, धर्म, क्षमता, आदि पर ध्यान दिये बिना शिक्षा सुनिश्चित करता है। समावेशात्मक दृष्टिकोण के आधार पर समावेशी समाज का निर्माण आवश्यक है। ऐसा करने में, हमने आम तौर पर मानी जाने वाली धारणाओंको चुनौती दी है और कतिपय मूलभूत धारणाओं का नया तन्त्र विकसित किया है। समावेशन किन्हीं असमर्थताओं से युक्त छात्रों को शिक्षित करने की एक विधि मात्र नहीं है। वह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक करने के लिए, श्रेष्ठ एवं अधिक समावेशात्मक विद्यालयों के निर्माण के लिए शिक्षकों, बालक, चाहे उसकी निश्शक्तता कितनी भी तीव्र और गंभीर क्यों न हो, समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उस समाज में सहभागिता की क्षमता रखता है। एक अच्छी समावेशी शिक्षा वह है जो सभी छात्रों को कक्षा से संबन्धित सभी पक्षों में प्रायेण समान रूप से भाग लेने की अनुमति देती है। चुनौतियों का सामना अभिभावकों और सामुदायिक नेताओं की सहकारिता व संबद्धता महत्वपूर्ण है। इस पत्र में समावेशी कक्षा के प्रबंधन की चुनौतियों के साथ-साथ कतिपय रणनीतियों की चर्चा की गयी है, जो शिक्षकों को समावेशन की संस्कृति निर्माण के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने में सहायता कर सकती हैं।

परिचय

आज समग्र विश्व में निश्शक्त छात्रों को समावेशी के रूप में जानी जाने वाली प्रणाली में अपने गैर-निश्शक्त साथियों के साथ तेजी से शिक्षित किया जा रहा है। समावेशन की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है और उसकी प्रक्रियाओं के किसी मानकीकृत स्वरूप पर कोई आम सहमति भी नहीं है जिसका अभ्यास करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए। मुख्यधारा के नाम से अभिहित एक और गैर-अलगाववादी दृष्टिकोण से समावेशन को अलग करने का एक तरीका यह है कि एक समावेशी कक्षा में, कक्षा से उन्हें हटाए बिना सभी छात्रों की विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करने पर जोर है।

समावेशन का अर्थ

समावेशन शब्द का अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। समावेशन के चारों ओर जो वैचारिक, दार्शनिक, सामाजिक और शैक्षिक ढाँचा होता है, वही समावेशन को परिभाषित करता है। शिक्षा में समावेशन का वैचारिक एवं दार्शनिक आधार यह है कि प्रत्येक बालक लोकतन्त्र की सहभागिता हेतु प्रेरणा प्राप्त करता है। समावेशन को कई अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं, राष्ट्रीय कानूनों और शिक्षा नीतियों में प्रमुखता से रेखांकित किया गया है।

समावेशन का निहितार्थ है" विशेष शिक्षा "प्रणाली में परिलक्षित निश्शक्त व्यक्तियों के लिए पृथक्कृत शिक्षण से नियमित या मुख्यधारा की विद्यालय प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा की ओर संक्रमण। विशेष शिक्षा प्रणालियों से समावेशी शिक्षा की ओर प्रभावपूर्ण परिवर्तन हेतु सावधानीपूर्वक नियोजन और संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निश्शक्त व्यक्तियों को नियमित या मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में रखने से पूर्व उनके लिये सीखने के वातावरण के अनुरूप समुचित अनुकूलन, समायोजन व सहायक तन्त्र की व्यवस्था कर ली गई है। अब यह समझा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा समुदायों, परिवारों, शिक्षकों और छात्रों को लाभान्वित करती है क्योंकि यह शिक्षा सुनिश्चित करती है कि निश्शक्त बच्चे अपने साथियों के साथ स्कूल जाते हैं और उन्हें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से सफल होने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। यह भी समझा जाता है कि समावेशन से समुदायों को भी लाभ होता है, क्योंकि निश्शक्त बालकों की मुख्यधारा के विद्यालयों में उपस्थिति स्थानीय समुदायों के व प्रतिवेशी क्षेत्रों के निश्शक्त छात्रों से परिचित करवाती है। परिणामतः, समुदायगत बाधाओं और पूर्वाग्रहों को तोड़ने में सहायता मिलती है। समुदाय भेदों व विविधताओं को खुलेपन से अधिक स्वीकार करने लगते हैं, और सभी को इस मित्रवत्, खुले वातावरण से लाभ होता है। अंततः, निश्शक्त बच्चों के लिए अलग स्कूली शिक्षा को बनाए रखना व्यय-साध्य नहीं है या दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है; और पृथक्करण प्रायः निश्शक्त बच्चों के लिये गुणहीन शिक्षा का कारण बन जाता है।

1994में, यूनेस्को द्वारा आयोजित विशेष आवश्यकताधारित शिक्षा पर विश्व सम्मेलन ने विकलांग छात्रों की शिक्षा पर सर्वसम्मत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके फलस्वरूप तथा विश्व के 92 देशों और 25 संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षरित सलामांका घोषणापत्र 1-में कहा गया है कि "विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों को नियमित विद्यालयों में प्रवेश सुलभ होना ही चाहिये। "यह कथन पुष्टि करता है कि समावेशी नियमित विद्यालय ही" भेदभावपूर्ण रवैये से निपटने, अभिनन्दनीय समुदायों की रचना, एक समावेशी समाज के निर्माण और सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने के सबसे प्रभावी साधन हैं। "इस घोषणापत्र ने सरकारों से उनकी शिक्षा प्रणालियों) यूनेस्को, (2009के भीतर ही समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने, योजना बनाने, धन का प्रावधान करने और निगरानी करने का आह्वान किया।

### विविधता और वैयक्तिकभिन्नता

भारत अत्यधिक विविधताओं वाला देश है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या अधिक से अधिक गतिशील होती जा रही है। अतः यहाँ की कक्षा के छात्र कई मायनों में विविध होते हैं। यह विविधता केवल सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि में नहीं अपितु उनकी सीखने की शैली में

भी दृष्टिगोचर होती है। एक और जहां यह सत्य है कि विविधताओं को प्रोत्साहन देना ऐसा विचार है जो हमारे कतिपय शाश्वत राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप है, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से जीवन यापन के अधिकार का सम्मान, किंतु कक्षा में इन आदर्शों को प्रोत्साहन देना कदाचित कठिन सिद्ध हो सकता है। इस विषय में जिन कठिनाइयों का निराकरण अपेक्षित है, वे अनेक स्रोतों से उत्पन्न होती हैं -

- विविधता पूर्ण व्यक्तियों और उनकी जीवनशैली के आधारभूत ज्ञान का अभाव।
- पूर्वाग्रह, जिनमें से अधिकांश को स्वीकार ही नहीं किया जाता।
- अपराध-बोध, क्रोध, हताशा आदि की गहन भावनाएं, जो विविधता के विषय में चर्चा से प्रायः उत्तेजित हो जाती हैं।

कक्षा में विविधता कई रूपों में सामने आती है। प्रायः हम विविधता को जनसांख्यिकीय अथवा समूह के आधार पर सोचते हैं, जैसे कि आयु, वर्ग, संस्कृति, अपंगतायें, जातीयता, लिंग अथवा यौन अभिविन्यास आदि। परंतु इसका सर्वसाधारण रूप तो व्यक्ति को भिन्नता है। यह भिन्नता व्यक्ति की पृष्ठभूमि में, उसके तैयारी के स्तर, सीखने की शैली, रुचियों और क्षमताओं में होती है। प्रभावी शिक्षक होने के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बालक वैयक्तिक स्तर पर कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। यह सर्वमान्य है कि सभी बालक एक जैसा नहीं सीखते। विविधता पूर्ण छात्रों की कक्षा के विकलांग बालकों के बीच भी वैयक्तिक भिन्नतायें समाहित हैं। किसी समावेशी पाठ्यक्रम का विकास प्रशिक्षक व छात्र दोनों के लिये एक रूपान्तरण करने वाली प्रक्रिया है। ऐसा पाठ्यक्रम एक प्रतिमानात्मक परिवर्तन पर बल देता है जिसमें मूल मान्यताओं का परीक्षण कर उनमें अभीष्टा परिष्कार लाया जाता है।

समावेशी शिक्षा प्रणाली में यह उद्देश्य नहीं है कि विविधविध बालकों को उसमें यथा कथञ्चित् समायोजित कर दिया जाये ताकि वे एक ही कक्षा में समाविष्ट हो सकें। यह प्रणाली इससे आगे जाकर ऐसे शैक्षिक वातावरण के अनुकूलन व समायोजन को लक्षित करती है जिससे वह प्रणाली शिक्षार्थियों के विविध समूहों के लिये सहायक भी हो और उत्तरदायी भी। समावेशी शिक्षा विविध समूहों व व्यक्तियों की वैयक्तिक अस्मिता का आलिंगन भी करती है और उसका समर्थन भी करती है। शिक्षकों को भी यह ध्यात्कारखना होगा कि निश्चकतायुक्त बालक भी उनके सामान्यकक्षहपाठियों की भांति किसी सामाजिक-आर्थिक समूह से संबंधित हो सकते हैं या घरेलु समस्यासे ग्रस्ती हो सकते हैं जिनसे उन का शिक्षण प्रभावित हो सकता है। छात्रों के ऐसे विविध समूहों को एक कक्षा में पढाने का अर्थ है कि शिक्षण रोमाञ्चकारी हो सकता है और उसके लिये पर्याप्त योजना के निर्माण की अपेक्षा होगी। कतिपय बिन्दुओं का अवधान अपेक्षित है -

- (1) बालक का निदान उसकी सांस्कृतिक व जातीय पृष्ठ भूमि कदापि उसके लिये शर्मिन्दसी या घबराहट का कारण नहीं बननी चाहिए। इसके बजाय विविधता की सराहना की जानी चाहिए।

- (2) पाठयोजना में छात्रों की विविधता को प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। उन कहानियों का पठन, जो निश्चिन्ता या किसी अलग सामाजिक-आर्थिक समूह से सम्बद्ध हो।
- (3) कक्षाकक्ष या सीखने के वातावरण में अनेक प्रकार की शिक्षण शैलियों के प्रोत्साहन की जरूरत है।
- (4) पाठयोजनाओं तथा उपयोग की जाने वाली शिक्षण-सामग्रियों की सामयिक समीक्षा होनी चाहिए।
- (5) छात्रों के साथ प्रयुज्यमान भाषा व अन्तर्क्रिया में समावेशिता प्रतिबिम्बित होनी चाहिए।
- (6) संबद्ध साहित्यांयह भी दर्शाता है कि सीखने की शैली के रूप में चर्चा छात्रों में प्रायेण सशक्तीकरण तथा अपनेपन की भावना उत्पन्नकरती है। जब छात्र विचारों पर खुल कर चर्चा करते और उन्हें प्रस्तुत करने के लिये स्वतन्त्रहोते हैं, तो इस बात की पर्याप्त संभावना होती है कि वे कक्षा में अपने को अधिक स्वीकृत व समादृत अनुभव करेंगे।

समावेशात्मक शिक्षा में विशेष शिक्षक का होना आवश्यक है। उसे विद्यालय के संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। समावेशी विद्यालय के शिक्षक का एक महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह दूसरे प्रशासनिक कर्मचारियों व शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के साथ सम्पर्क रखे जिससे विकलांग बालकों के प्रति उनके दृष्टिकोण का भी निरीक्षण होता रहे। वस्तुतः इसविशेष शिक्षक का अतीव महत्वपूर्ण कर्तव्य यही है कि वह निश्चिन्त बालकों के अधिवक्तृत्वका निर्वाह करे। अधिवक्तृत्व से यहाँ तात्पर्य है कि वह विद्यालयीय कार्यक्रमों में इन बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करें तथा उन की सफलता को सहाय्ये और उसे उत्सव का रूप दे।

#### समावेशी कक्षा में प्रबंधन : चुनौतियाँ और रणनीतियाँ

शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण चाहते हैं जिसमें सभी छात्र अपने सर्वोत्तम अधिगम को सिद्ध कर सकें। किन्तु, यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है जब लक्ष्य पूरी तरह से समावेशी कक्षा हो। छात्रों में प्रायः व्यापक क्षमताएं, सीखने की शैली, स्वयं को व्यक्त करने का प्रकार तरीके और अपने भौतिक और सामाजिक वातावरण के साथ बातचीत करने के अन्दाज़ होते हैं। समावेशी शिक्षा से जुड़ी तीन प्रकार की चुनौतियाँ या दुविधाएँ कक्षा प्रबंधन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक हैं। सबसे पहली चुनौती है कि सफल अधिगम के परिवेश निर्माण हेतु आवश्यक आदेश, संरचना और सुरक्षा को कैसे बनाए रखा जाये। अन्य सभी सामाजिक स्थितियों की भान्ति, कक्षाओं में भी नियमित गतिविधियों और अन्तःक्रियाओं के आदर्श रूप समाविष्ट होते हैं। शिक्षक अपने सभी छात्रों को सामाजिक सामाजिक क्रिया-कलापों में सम्मिलित करने की पद्धति का अन्वेषण करते हैं, जिनके माध्यम

से अधिगम और सामुदायिक भावना का निर्माण होता है। वे संभावित अवरोधों को संभालने के लिए सर्जनात्मक और रचनात्मक तरीके खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार प्रभावी प्रबंधन न केवल छात्रों के सीखने की जरूरतों को समायोजित करने के विषय से संबद्ध है, अपितु उन्हें अपने व्यवहार को नियन्त्रित करने में भी मदद करता है। दूसरी चुनौती उन सभी छात्रों की अधिगम की अपेक्षाओं तथा सामाजिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने से संबद्ध है, जो सामान्यतः विकसित हो रहे हैं और जो विशेष आवश्यकताओं और जो किन्हीं दुर्बलताओं से युक्त हैं। यहाँ, लक्ष्य है उस शैक्षिक और सामाजिक पाठ्यक्रम को तैयार करना और उसका क्रियान्वयन करना, जो प्रत्येक बालक तक उपलब्ध हो और प्रत्येक की वैयक्तिक क्षमता को समुन्नत कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि उन लोगों को कलंकित करने के सदा विद्यमान रहने वाले संकटपद को कैसे हल किया जाए जिन्हें "अलग" माना जाता है। दूसरे शब्दों में, समावेशात्मक परिवेश में उत्पन्न होने वाले उन शाब्दिक और प्रतीकात्मक बहिष्कार के नानाविध रूपों को पहचानने और उन्हें कम करने के प्रयास करने की आवश्यकता है, जो इन समस्याओं को कम करने के लिए तैयार किये गये वातावरण में भी प्रकट हो सकते हैं तथा उभर कर आ सकते हैं।

### समावेशात्मक संस्कृति का निर्माण

उपर्युक्त इन दुविधाओं का न तो कोई सटीक उत्तर है, न कोई ऐसा समाधान जो सभी बालकों के लिए उपयोगी हो, और न ही कोई मानकीकृत प्रक्रिया है जो सभी स्कूलों, कक्षा-स्तरों और शैक्षिक स्थितियों के अनुरूप व उपयुक्त होगी। हालांकि, इन तीनों चिंताओं का निराकरण" समावेशन की संस्कृति "के निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है। इस प्रकार की समावेशी कक्षा संस्कृति की संकल्पना केवल विशेष अभ्यासों, गतिविधियों या पाठों के गठन करने जैसा सामान्य विषय नहीं है। प्रत्युत, इसके लिये अनेक अलग-अलग अभ्यास और अन्य कई तत्व परस्पर सुदृढ़ और सहयोगात्मक रीति से मिलकर काम करते हैं। प्रभावी समावेशन की एक और विशेषता यह है कि शिक्षक और विद्यालय से जुड़े अन्य वयस्क कक्षा के अंदर और कक्षा से बाहर दोनों जगह सहयोग कर सकते हैं। समय के साथ साथ, कक्षा में काम करने वाले वयस्क एक समीचीन रीति से काम करने वाले क्रीडादल के सदस्यों की तरह बन सकते हैं :जहाँ प्रत्येक शिक्षक मौन रूप से इस बात से अवगत होता है कि अन्य सदस्य उस क्षण में क्या कर रहे हैं, और उन स्थितियों के प्रति सजग हो कर अपनी प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं जिनमें अतिरिक्त सहायता की अपेक्षा हो सकती है। शोधकर्ता यह भी बताते हैं कि प्रभावी समावेशन का व्यवस्थापन एक दृढशक्ति वाले प्राशासनिक नेता द्वारा ही संभव है जो शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और सेवा प्रदाताओं को एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करने और उन्हें जुटाने में सक्षम होता है। ऐसा प्रशासक सभी हितधारकों को चुनौतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण लाने के लिए प्रोत्साहित

कर सकता है, और शिक्षकों को उनके लिये अभीष्ट सामग्री और मानव संसाधन उपलब्ध करा सकता है।

### प्रभावी समावेशन के लिए तीन रणनीतियाँ

इन चुनौतियों से निपटने के तीन उपाय अधोलिखित हैं-

- (1) छात्रों को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रोत्साहन देने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण।
- (2) सार्वभौमिक प्रारूप और विभेदित निर्देश का एकीकरण।
- (3) मानवीय भेदों की वास्तविकता का " सामान्यीकरण"।

### प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक लचीला दृष्टिकोण

किसी प्रभावी रूप से समावेशी वातावरण में, शिक्षक और कर्मचारी कक्षा में बालक के कार्य में मदद करने के रचनात्मक तरीके खोजने के लिए खुले हैं। सभी बालकों को उनकी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा को पूरा करने और कक्षा समूह के सदस्य बनने में उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना ही यहाँ लक्ष्य है। विद्यालय का प्रत्येक दिवस सामाजिक क्रियाकलापों की एक शृंखला से बनता है। तात्पर्य यह है कि छात्र और शिक्षक प्रतिदिन दोहराये जाने वाली नियमित अन्तःक्रियाओं में परस्पर संलग्न होते हैं। जैसे जैसे शिक्षकों को अपने छात्रों की व्यक्तिगत सीमाओं और संवेदनशीलताओं के बारे में पता चलता है, वे प्रायः ऐसी स्थितियों की आशंका कर सकते हैं जिनके विशेष रूप से कठिन या अत्यधिक उत्तेजक साबित होने की संभावना है। यदि कक्षा एक क्षेत्र की यात्रा पर जा रही है, तो शिक्षक और माता-पिता बच्चे को पहले से ही तैयार कर सकते हैं, यह समझाते हुए कि कक्षा क्या कर रही है और क्या पूर्वाभ्यास करना चाहिए। यदि उन्हें लगता है कि एक विशेष सभा या प्रदर्शन एक बच्चे के लिए अतिरंजित हो सकता है, तो वे उसके साथ रहने के लिए माता-पिता, देखभाल करने वाले या अन्य वयस्क की व्यवस्था करने का भी प्रयास कर सकते हैं।

उन्नत स्तर पर, जहाँ शैक्षणिक निर्देश में बहुत अधिक समय लगता है, कई अलग-अलग प्रकार के समायोजन व अनुकूलन छात्रों को उन सीमाओं को पार करने में सक्षम बनाते हैं, जो उनके सीखने या उनके जानने की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन छात्रों के पास उचित गतिशीलता की कमी (Motor impairments) है, वे एकतरफा (Slanted) लेखन फलक का उपयोग कर सकते हैं। एक छात्र जो अपना नाम लिखने में असमर्थ है, वह मुद्रा का उपयोग कर सकता है, और एक वाग्बाधित छात्र पाठ से ध्वनि यन्त्र (Kurzweil) का उपयोग करके प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम हो सकता है। एक दृष्टिहीन छात्र, जो फलक या पर्दे को दूर से नहीं देख सकता है, उसे अपनी कुर्सी से उठने और कमरे के सामने जाकर पढ़ने या प्रदर्शित करने की अनुमति दी जा सकती है। अनेक उदाहरण कतिपय आधारभूत विषयों को रेखांकित करते हैं जैसे बालकों की व्यक्तिगत आवश्यकतायें,

लचीलापन और नई रणनीतियों के परीक्षण हेतु लचीलापन और खुलापन और एक सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण इत्यादि

### सार्वभौमिक प्रारूप और विभेदित निर्देश का एकीकरण

छात्रों की विविध आवश्यकताओं और क्षमताओं के लिए शिक्षण प्रविधियों, पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम के अन्य पहलुओं के साथ अनुकूलन करने के कई तरीके हैं। सार्वभौमिक प्रारूप और विभेदित निर्देशन दो प्रकार की रणनीतियाँ हैं जो शिक्षार्थियों की एक विस्तृत शृंखला के लिए विद्यालय शिक्षा को सुलभ बना सकती हैं।" सार्वभौमिक प्रारूप "शब्द का अर्थ है सभी के लिए सुलभ होने के उद्देश्य से वातावरण का निर्माण। इसके अतिरिक्त, किसी बालक का नाम उसके सहपाठियों की सूची में जोड़ने से समूह से संबद्धता की भावना पैदा होती है। सार्वभौमिक डिजाइन में पाठ्यक्रम की संरचना और पाठ को पढ़ाने के तरीके में एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण का निर्माण शामिल हो सकता है। यद्यपि" सार्वभौमिक प्रारूप " उन प्रविधियों को दर्शाता है, जो सभी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय के शैक्षणिक और सामाजिक पहलुओं को सुलभ बनाने में सहायता करती हैं, "विभेदित निर्देशन"की अवधारणा संयोजन के महत्व को रेखांकित करती है, जैसे कि छात्रों की वैयक्तिक सीखने की शैली और भिन्नताओं की दृष्टि से क्या सिखाया जाता है और उसे कैसे सिखाया जाता है। विभेदन में समान अवधारणाओं को कई भिन्न-भिन्न तरीकों से पढ़ाना समाविष्ट हो सकता है, ताकि समान पाठ्यसामग्री में प्रवेश के कई द्वार हों। परन्तु इसमें भिन्न-भिन्न छात्रों के लिये विभिन्न सामग्रियों को पढ़ाना भी समाविष्ट हो सकता है।

### "सामान्यीकरण"मानव अंतर की वास्तविकता

समावेशी शैक्षिक प्रणाली में क्षमतात्मक भेद सहित किसी भी प्रकार की भिन्नताओं व असमानताओं के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जाता है। प्रत्युत, प्रभावी समावेशन का यह एक प्रमुख गुण है कि इस के कारण विभेदित आवश्यकतायें, उनका समायोजन व पोषण अधिक आश्चर्यजनक और विक्षोभकारी नहीं लगता है। क्योंकि समावेशी कक्षा में बालकों को सिखाया जाता है कि यह सब जीवन के रोज़मर्रा के सामान्य तथ्य हैं। अतः, समावेशी कक्षा उन्हीं बालकों के लिये शिक्षा तक पहुँच एवं अवसर प्राप्ति को सुगम नहीं करतीं, जिनकी असमर्थतायें उन्हें अन्यथा सीमित नहीं करती हैं, इसका उद्देश्य यह है कि जब अन्य व्यक्ति इन बालकों को देखें या ये स्वयं का अवलोकन करें तो इनकी दृष्टि इनकी असमर्थताओं की ओर कम केन्द्रित हो। प्रयास होना चाहिये कि इन छोटे बालकों के साथ क्षमतात्मक भिन्नतायें और उनकी आवश्यकतायें अधिक सामान्य दिखें। इसके लिये एक तरीका यह है कि कक्षा के सभी बालक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों व तत्संबन्धी सेवाओं के साथ सुपरिचित हो जायें। इस का कारण यह है कि जब बालक प्रथमतः एक दूसरे से मिलें तो यह परिचय निश्चक बालक द्वारा विशेष प्रकार के सहायक उपकरणों के उपयोग के साथ उसकी अत्यधिक निर्भरता व संबद्धता को उस बालक की

पहचान के साथ जोड़ कर न देखने में अत्यन्त सहायक होगा। इस कार्यनीति का अर्थ यह नहीं है कि जिन्हें ऐसी सहायता व समायोजन की अपेक्षा नहीं है उन बालकों में इस पर निर्भरता हेतु प्रेरित किया जाये, बल्कि यह ऐसी दीर्घकालिक प्रक्रिया का शुभारम्भ है जिसके द्वारा कई सप्ताह पश्चात केवल वही छात्र उनका उपयोग करें जिन्हें अपने उत्तम शिक्षण के लिये ऐसे समायोजन की वास्तव में आवश्यकता है। अर्थात् न तो यहाँ सभी को सब सुविधायें उपलब्ध कराना अभिप्रेत है और न ही असमर्थताओं व विशिष्ट आवश्यकताओं के अस्तित्व को नकारना। सभी इस वास्तविकता को सामान्य दृष्टि से समझें कि ऐसी विभिन्नताओं का अस्तित्व है, अतः इनके समायोजन व प्रोत्साहन के प्रकार में भी निश्चितरूप से भिन्नतायें होंगी।

विद्यालय शैक्षिक विषयों को सीखने मात्र का स्थाक नहीं है, अपितु वह सम्बन्धों, भावनाओं के विषय में सीखने और सौहार्द को प्रोत्साहित करने का पावनतम धाम है। कई छात्रों को ऐसे समावेशी परिवेश में मित्र बनाना कठिन हो सकता है। अतः मित्र समूह स्थापित करके उनमें सामाजिक सम्बन्धों को प्रोन्नत किया जा सकता है। सुनियोजित कक्षाकक्षीय गतिविधियों में सहयोगी शिक्षण व सहपाठी शिक्षण जैसी गतिविधियाँ भी मैत्री को प्रोत्साहित कर सकती हैं। उदाहरण के लिये, कतिपय निश्शक्त बालक नियमित बालकों का ट्यूटर बनें। निश्शक्तता से युक्त बालकों को अपने सामान्य बालकों की तरह स्वषप्रदेखने व आकांक्षायें रखने का अनुमोदन किये जाने की आवश्यकता है। इस से उनके शैक्षिक जीवन में सहभागिता हेतु आत्मघ्नेरणा प्राप्त होगी।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अग्निहोत्री, रवीन्द्र (2008); आधुनिक भारतीय शिक्षा : समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
2. अग्रवाल, जे.सी. (1968); स्वतन्त्र भारत में शिक्षा का विकास, आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।
3. मलैया, के.सी. (1971); भारतीय शिक्षा-आयोग तथा समितियाँ, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद।
4. Jha, M.; (2002) Inclusive Education for all: Schools without Walls, Chennai, Heinemann Educational publishers, Multivista Global Ltd.
5. Sharma, P.L.; (2003) Planning Inclusive Education in Small Schools, R.I.E. Mysore, Bhargav, Mahesh; Exceptional Children, H.P. Bhargav Book House, Agra.
6. Vijayan, P and Geetha (Ed. By Mittal, S.R., 2006) Integrated and Inclusive Education: DSE (vi) Manual, New Delhi.
7. Govt. of India (1986), National Policy of Education M/o HRD, New Delhi.
8. Govt of India (1964-66), Education Commission Kothari commission.
9. Govt of India (2009): Right to Education, Ministry of law and justice.